पत्रांक–7/पद सृजन–15–4/2014 सा0प्र0...../

वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के एक–एक पद सहित कुल चार पदों का सृजन मामले में निकासी बजटीय शीर्ष में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–9668 दिनांक 15.07.2014 द्वारा अरवल, शेखपुरा, बाँका एवं किशनगंज में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि) के वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070 में रुपये 52,26,672/–(बावन लाख छब्बीस हजार छः सौ बहत्तर) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से एक–एक पद सहित कुल चार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त स्वीकृत्यादेश में व्यय शीर्ष बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" अंकित है।

विधि विभाग के पत्रांक–762 दिनांक 02.02.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य के न्यायमंडल के अधीन प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के वर्ष 2014–15 में स्थापना मद में निकासी हेतु मुख्य शीर्ष–2014–न्याय प्रशासन लघु शीर्ष–117–परिवार न्यायालय–उप शीर्ष–0001–परिवार न्यायालय के अंतर्गत, विपत्र कोड सं0–एन0–2014001170001 में भारित होगा।

विधि विभाग से प्राप्त सूचना के आलोक में उपर्युक्त पदों के निकासी के बजट शीर्ष में संशोधन पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग ने एतद् संबंधी विभागीय प्रस्ताव पर सहमति देते हुए महालेखाकार कार्यालय को संशोधित प्राधिकार निर्गत करने हेतु अनुरोध करने का निदेश दिया है।

उपर्युक्त के आलोक में कंडिका–1 में स्वीकृत पदों के लिए निकासी का बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–2014–न्याय प्रशासन लघु शीर्ष–117–परिवार न्यायालय–उप शीर्ष–0001–परिवार न्यायालय के अंतर्गत, विपत्र कोड सं0–एन0–2014001170001 होगा तथा संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–9668 दिनांक 15.07.2014 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–4/2014 सा0प्र0 4456 /पटना–15, दिनांक 24.3.15

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2014 के मद संख्या–05 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/3/15
सरकार के उप सचिव।